बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

सं0–06/विविध–19/2017 पटना, दिनांक–

बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत "विहित सक्षम प्राधिकार" द्वारा मोटरवाहनों का अधिहरण तथा उसकी सार्वजनिक नीलामी की गई है। इन सार्वजनिक नीलामी के क्रम में जिन क्रेताओं ने मोटरवाहन का क्रय किया है, उनके पक्ष में प्रासंगिक मोटरवाहन का स्वामित्व परिवर्तन कर स्वामित्व प्रमाण पत्र (R.C) का निर्गमन अपेक्षित है।

मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 50 (2) (b) तथा 50 (6) एवं केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली के नियम 57 (1) तथा 57 (2) में प्रासंगिक प्रावधान स्पष्ट है। तथापि कई जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकार की कठिनाई व्यक्त करते हुए दिशा–निर्देश की मांग की गई है।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के "विहित सक्षम प्राधिकारों" द्वारा कतिपय विशिष्ट अधिनियमों के अंतर्गत विहित उल्लंघन के आरोप में किसी मोटरवाहन के अधिहरण की स्थिति में अधिहरण की प्रक्रिया पूरी होते ही उक्त मोटरवाहन ऋणभारमुक्त (Free From Encumbrances) राज्यसात् (Vested in state) हो जाते हैं। राज्यसात् होते ही अधिहरण से पूर्व के वाहन स्वामी का स्वामित्व तत्काल प्रभाव से स्वतःनिरस्त (निष्प्रभावी) हो जाता है, बशर्ते किसी सक्षम उच्चतर न्यायालय द्वारा अधिहरण प्रक्रिया के प्रतिकूल कोई आदेश नहीं पारित किया गया हो।

अतः सभी जिला परिवहन पदाधिकारी इस प्रकार के सभी मामलों में अधिहरण के फलस्वरूप, अधिहरण पूर्व के वाहन स्वामी का स्वतःनिरस्त (निष्प्रभावी) स्वामित्व तत्काल फ्रीज करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। एतदर्थ प्रासंगिक विवरण के साथ एन0आई0सी0 को तत्काल संसूचित करें। सार्वजनिक नीलामी के क्रेता के पक्ष में, नीलामी से संबंधित प्रासंगिक अभिलेखों को सत्यापित कर वाहन स्वामित्व प्रमाण पत्र (R.C) निर्गत करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

ह०/–
सरकार के सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 6779 पटना, दिनांक :– 26/10/18

प्रतिलिपि :–सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, परिवहन विभाग/राज्य सूचना पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/10

सरकार के सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।